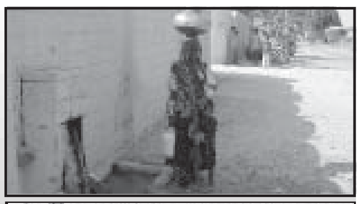

गाँव की ओर

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बेवसाइट www.drdasirsa.gov.in पर उपलब्ध

वर्ष 2006 माह–अक्तूबर संस्करण–01 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिरसा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिका पेज–08

एक गारंटी रोजगार की

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए शुरू की है जो हर साल हजारों लोग रोजगार की तलाश में गाँवों से शहरों की ओर भागते है । अपने परिवारों के लिए घर को पर्याप्त पैसा भेजने लायक कमाने में उन्हें महीनों, कभी–कभी तो सालों लग जाते हैं और तब तक उनके परिवार दरिद्रता में ही जीवन गुजारते हैं । इस पलायन से एकदम साफ है कि गाँवों में लोगों के लिए न पर्याप्त काम धन्धें हैं और न उनके पास पूँजी है । इस रोजगार गारंटी से उनकी दयनीय हालत बदलने की उम्मीद बंधी है । रोजगार गारंटी कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार के लिए आवेदन दे तो उसे उसके निवास के पाँच किलोमीटर के दायरे में 15 दिन के भीतर रोजगार दिया जाता है । अगर सरकार किसी व्यक्ति को काम उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी होगा और भत्ता सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का एक तिहाई होगा। रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवारों में से कम से कम एक व्यक्ति को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिलवाने की गारंटी देता है । काम करने वाले को कम से कम तय न्यूनतम वेतन मिलने की गारंटी है । यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य के सिरसा व महेन्द्रगढ़ जिलों में चल रहा है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिस पर यह योजना आधारित है । इस योजना में विभिन्न पहलू इस तरह के हैं कि इसे जनता का कानून कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि देश में यह पहला कानून बना है, जिसके द्वारा कामकाजी लोगों, ग्रामीणों को रोजगार की जरूरतों को पूरा करते हुए उन्हें प्रतिष्ठापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया है । इस योजना के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं, सामाजिक आडिट व सहभागी नियोजन के माध्यमों से आम जनता की कार्य में सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की है । इस योजना से जहां अपने पास ही रोजगार मिलेगा, वहीं मुख्य रूप से सूखा, जंगलों का विनाश, भूमि कटाव जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

इस योजना के जहां सफल बनाने के लिए व प्रभावी रूप से लागू करनें के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है वहीं सरकारी मशीनरी की भूमिका भी प्रमुख है । –शेष पृष्ठ 2 पर

सम विकास योजना की चौथी किश्त प्राप्त

सम विकास योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्य का निरीक्षण करते अधिकारीगण।

सम विकास योजना शत प्रतिशत रूप से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसमें एक जिले के द्वारा कुल 7.5 करोड़ रूपये प्रत्येक की 6 किश्तें तीन वर्ष के दौरान प्राप्त की जानी होती है। सिरसा जिले में अभी तक कुल 45 करोड़ रूपये में से 30 करोड़ रूपये 7.5 करोड़ रूपये की चार किश्तों में प्राप्त किये जा चुके हैं जोकि भिन्न–भिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन एजेंसियों को आवंटित कर दिए गये हैं।

जैसा कि विदित हो उक्त योजना सिरसा जिले में वर्ष 2004–05 के वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गयी थी। अपने तीन वर्ष के समयकाल के अनुसार योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 तक क्रियान्वित की जानी है। इस योजना की कुल 7.5 करोड़ रूपये की पहली किश्त मार्च, 2005 में प्राप्त की गयी थी, उसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2005–06 में कुल 15 करोड़ रूपये और प्राप्त किए गये। वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान अभी तक कुल 7.5 करोड़ रूपये चौथी किश्त के तौर पर डीआरडीए सिरसा को प्राप्त हो चुके हैं।

अक्षय ऊर्जा विभाग
सिरसा रहा दूसरे स्थान पर

अक्षय उर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया । विभाग ने अक्षय ऊर्जा के प्रति ग्राम पंचायतों को जागरूक करना व लोगों को जागरूक करने पर यह दूसरा स्थान हासिल किया। इस कार्य के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चन्द्रमोहन ने सिरसा अतिरिक्त उपायुक्त श्री पंकज यादव व जिला अक्षय ऊर्जा विभाग के श्री इन्द्राज सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया ।

ग्राम सभाओं की विशेष बैठकें सम्पन्न

रानियां खंड के नकोड़ा व ऐलनाबाद खंड के केहरवाला गांव में ग्राम सभा की बैठक के दृश्य।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिरसा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पंचवर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 28, अगस्त 2006 से 30, सितम्बर 2006 तक ग्राम सभाओं की विशेष बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

उक्त बैठकों का आयोजन जिले के उच्च अधिकारियों की निगरानी में करवाया गया। इसके तहत प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए एक तीन सदस्यीय टीम बनाई गई जिसमें एक ग्राम सचिव, एक कनिष्ठ अभियन्ता तथा एक बीडीपीओ/एस.डी.ओ. (पीआर)/ए.डी.ओ. (कृषि) स्तर के अधिकारी तैनात किए गये। उक्त के अलावा पाँच गाँवों के ऊपर एक जिला स्तरीय अधिकारी जैसे डीडीपीओ/डीएफओ/एएससीओ/डीएचओ/एक्सीयन (पीआर) आदि रखे गए। उक्त अधिकारियों को अपने अंतर्गत आने वाले पाँच गाँवों में ग्राम सभाओं की बैठकों को विहित तरीके से आयोजित कराना सुनिश्चित करना था। साथ ही उनके द्वारा यह भी देखा जाना था कि सम्बंधित ग्राम पंचायत में रोजगार गारण्टी योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में कुल कितनी धनराशि के कामों की पहचान करनी है।

उक्त योजना के तहत एक कार्य दिवस में कुल 15 गाँवों में ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जाती थी तथा सम्बंधित गाँवों की टीमों के सभी सदस्य उच्च अधिकारियों के साथ उक्त 15 गाँवों में से किसी एक गाँव के स्कूल प्रांगण में रात्रि प्रवास किया करते थे। उक्त के अलावा प्रतिदिन होने वाली ग्राम सभाओं की बैठकों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन भी सायंकालीन बैठक में कर लिया जाता था। उसके उपरान्त दूसरे कार्यदिवस के प्रातःकाल सभी टीमों के सदस्यों को सामूहिक बैठक के माध्यम से पूर्व दिवस में की गई किसी भी त्रुटि को दूर करने के लिए निर्देश दे दिए जाते थे। सभी टीमों को प्रातःकालीन सत्र में ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जानी होती थी तथा दोपहरकालीन सत्र में रोजगार गारण्टी योजना में लिये जाने वाले कार्यों की पहचान करने, उनका मौका मुआयना करने, कार्यस्थल का फोटो लेने व उनका मौके पर ही अनुमानित प्राक्कलन बनाया जाना अपेक्षित था।

ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित करने के लिए सबसे पहले डबवाली खण्ड को चुना गया। उसके उपरान्त क्रमशः औढ़ा, बड़ागुड़ा, सिरसा, नाथूसरी चौपटा, ऐलनाबाद एवं रानियां खण्डों में प्रतिदिन 15–15 बैठकों का आयोजन किया गया। –शेष पेज 8 पर

स्कीम का लक्ष्य समूह क्या है ? ....पृष्ठ 1 का शेष

'हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' उन सभी ग्रामीण लोगों के लिए उपलब्ध है, जिन्हें मजदूरी रोजगार की जरूरत है और वे अपनें गाँव/बस्ती के आस–पास शारीरिक एवं बिना कौशल वाले कार्य करना चाहते हैं । रोजगारकर्त्ता द्वारा लगातार 14 दिन कार्य करना अनिवार्य है तथा एक सप्ताह में कार्यदिवस 6 से अधिक नहीं होंगे ।

पंजीकरण का अधिकार

कार्य करनें के इच्छुक परिवार/व्यक्ति अपना आवेदन–पत्र सम्बंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत कर सकते हैं । ग्राम पंचायत द्वारा जांच उपरान्त पात्र व्यक्तियों का नाम रोजगार रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा सम्बंधित परिवार को एक रोजगार पत्र पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा । रोजगार पत्र जारी करने के उपरान्त सम्बंधित परिवार/व्यक्ति श्रम रोजगार के लिए अपना आवेदन–पत्र ग्राम पंचायत या ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी बी.डी.ओ. को प्रस्तुत कर सकता है । इसके उपरान्त आवेदक को 15 दिन के अन्दर–अन्दर श्रम रोजगार उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा ।

श्रम रोजगार 15 दिन के अन्दर उपलब्ध न करवानें की दशा में बेरोजगारी भत्ता नियमानुसार दिया जाना वांछित है ।

रोजगार कौन उपलब्ध करवायेगा ?

सम्बंधित ग्राम पंचायत या ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) आवेदक को रोजगार मुहैया करवाने हेतु कार्य अलॉट करेंगे ।

काम की जानकारी कैसे दी जायेगी ?

ग्राम पंचायत या ब्लाक कार्यक्रम अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) आवेदक को लिखित रूप में कार्य करने बारे सूचित करेंगे तथा आवेदक अलॉट किये गये कार्य पर 15 दिन के अन्दर–अन्दर कार्यस्थल पर रिपोर्ट करेगा । यदि आवेदक 15 दिन के अन्दर–अन्दर कार्य स्थल पर रिपोर्ट करनें में असमर्थ हो तो उस दशा में आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार नहीं होगा। हाँ, ऐसा आवेदक कार्य के लिए पुनः अपना आवेदन पत्र दे सकता है ।

कार्यक्रम लागू करने की प्रणाली क्या है ?

यह स्कीम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू की जायेगी । खण्ड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पंचायतों को कम से कम 50 प्रतिशत अनुमानित राशि के कार्य अलाट किये जायेंगे । ग्राम स्तर पर करवाये जानें वाले कार्यो बारे सुझाव तथा स्कीम की योजना एवं मूल्यांकन सम्बंधित कार्य ग्राम सभा द्वारा किये जायेंगे । ग्राम सभा द्वारा सिफारिश किये कार्यो का अनुमोदन सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना वांछित है । गाँव स्तर की वार्षिक योजना का अनुमोदन दिसम्बर माह तक किया जाना है ।

खण्ड स्तर प्रणाली

ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना का आकलन खण्ड स्तर पर खण्ड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा । ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्यो/वार्षिक योजना का अनुमोदन पंचायत समितियों से वांछित होगा । पंचायत समिति ऐसे कार्य जैसे कि सम्पर्क सडकें, रिंग बाँध, सिंचाई स्त्रोतों, बाढ़ निरीक्षण तथा बचाव कार्य इत्यादि करवा सकती है जिसका कार्यक्षेत्र एक से अधिक पंचायतों में है । खण्ड स्तर की वार्षिक योजना का अनुमोदन जनवरी माह तक किया जाना है ।

जिला स्तर प्रणाली

जिला स्तर की वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने की जिम्मेवारी सम्बंधित उपायुक्त एवं प्रोग्राम कोरडीनेटर की होगी । समस्त पंचायत समितियों से उपलब्ध प्रस्तावों का अनुमोदन सम्बंधित जिला परिषद द्वारा किया जायेगा । जिला परिशद ऐसे कार्यजैसे कि सम्पर्क सड़के, रिंग बांध, सिंचाई स्त्रोतों, बाढ़ निरीक्षण तथा बचाव कार्य इत्यादि करवा सकती है । जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक पंचायत समितियों में है । जिला स्तर की वार्षिक योजना का अनुमोदन फरवरी माह तक किया जाना उचित है ।

स्कीम के अन्तर्गत कौन से कार्य करवाये जा सकते हैं ?

1. जल सरंक्षण तथा जल संग्रहण ।
2. सूखे से बचाव के लिये वृक्षारोपण एवं वन सरंक्षण ।
3. सिंचाई स्त्रोतों जैसे कि नहरों रजवाहों का नवीनीकरण एवं सफाई करवाना
4. सिंचाई तालाबों का निर्माण ।
5. अनुसूचित जातियों, इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों तथा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना ।
6. गांव के तालाबों/टैंकों का नवीनीकरण जिसमें कि उनकी सफाई भी शामिल है
7. भूमि विकास ।
8. बाढ़ निरीक्षण तथा बचाव कार्य ।
9. ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण ।
10. ग्रामीण गलियों एवं सड़कों के अन्तर्गत पुलियों, नालियों का निर्माण ।
11. केन्द्र सरकार की अनुमति से अन्य विकास कार्य भी सम्भव हैं ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी की दर क्या होगी ?

स्कीम के अन्तर्गत महिला एवं पुरूष मजदूरी की अकुशल श्रमिक कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा । मजदूरी का भुगतान प्रति सप्ताह या फिर 14 दिनों के अन्दर–अन्दर करना अनिवार्य है । महिला एवं पुरूष श्रमिक समान मजदूरी के हकदार हैं । भुगतान की गई मजदूरी का ब्यौरा श्रमिक परिवार के जॉब कार्ड में दर्ज करना अनिवार्य है ।

मजदूरी का भुगतान सम्बंधित सरपंच, एक पंच तथा ग्राम सचिव द्वारा किया जायेगा ।

मजदूरी एवं सामग्री अनुपात क्या है ?

जिला स्तर पर सभी कार्यो का मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात क्रमशः 60:40 होगा। यह अनुपात कार्य अनुसार अनिवार्य नहीं है ।

मस्टर रोल का रख–रखाव कैसे होगा ?

प्रत्येक कार्य का अलग–अलग से मस्टर रोल रखना अनिवार्य है । सभी कार्यों के मस्टर रोल में मजदूरों को दी गई मजदूरी, कार्य दिवस, किये गये कार्य का ब्यौरा, लाभार्थियों के नाम इत्यादि उपलब्ध करवाने अनिवार्य हैं । जनता की मांग पर मस्टर रोल उपलब्ध करवाना अनिवार्य है ।

क्या ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध है ? हाँ, स्कीम के अन्तर्गत किसी भी कार्य के कार्यान्वयन हेतु ठेकेदारों को लगानें की अनुमति नहीं है । किसी भी मध्यवर्ती व्यक्ति अथवा एजेंसी को कार्य पर लगाने में पूर्ण प्रतिबंध होगा ।

सामाजिक लेखा परीक्षा आवश्यक है

ग्राम पंचायतों के स्तर पर प्रत्येक तिमाही में निर्धारित तिथि, समय तथा स्थान पर ग्राम सभा की बैठक होगी जिसमें आयोजना, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण से सम्बंधित मुद्दों पर विचार किया जायेगा । भिन्न–भिन्न कार्यों के पूरा हो जानें के बाद पारदर्शिता एवं सामाजिक निरीक्षण को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये गये कार्यो का ब्यौरा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान- एक स्वच्छता मुहिम

किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य और सेहत पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता तथा समूचित स्वच्छता पर अधिकाँश निर्भर करता है । अतः पानी, सफाई और स्वास्थ्य के बीच सीधा सम्बंध है । स्वच्छता के अभाव में शिशु मर्त्यता दर भी उच्च रही है । इस सब को देखते हुए, 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सी.आर.सी.एस. चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण जनता के स्वच्छता संबंधी स्तर को सुधारना तथा महिलाओं को निजता और आदर प्रदान करना । पहले स्वच्छता से तालाबों, गढ्ढों, पोखरों, संडासों और टोकरियों में मल–मूत्र को विसर्जित कर देनें का ही आशय लिया जाता था । आज यह एक व्यापक अवधारणा बन चुकी है, जिसमें तरल और ठोस अपशिष्ट का निपटान–निकास, खाद्य संबंधी साफ–सफाई, खुद और अपने घर–बार सहित आसपास के वातावरण की सफाई शामिल है । समुचित स्वच्छता न केवल सेहत के मामले में जरूरी है बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है । ठीक ढंग से स्वच्छता रखने से जल और मिट्टी आदि का प्रदूषण नहीं फैलता तथा इससे रोगों की रोकथाम होती है । इस प्रकार स्वच्छता की अवधारणा में अब व्यक्तिगत साफ–सफाई, घर की साफ–सफाई, साफ पेयजल, कूड़े–कर्कट का निपटान, मल–मूत्र और गंदे पानी का निकास शामिल है ।

गांव की ओर

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में सुधार किया गया । इस प्रकार यह कार्यक्रम एक 'माँग आधारित तरीके' से संचालित होने की तरफ मुड़ा । इस कार्यक्रम जिसका नाम 'पूर्ण स्वच्छता अभियान टी.एस.सी.' रखा गया है, में संशोधित रूप से सूचना, शिक्षा और संचार आई.ई. सी, मानव संसाधन विकास, स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग बढ़ानें और जनजागरूकता के लिए क्षमता–विकास गतिविधियां करने पर अधिक बल दिया गया है । इससे लोग वैकल्पिक प्रेषण–प्रणालियों के माध्यम से उपयुक्त विकल्प का चुनाव बेहतर ढंग से कर सकेंगे और लाभार्थियों की मांग पूरा करनें में उनकी स्वयं की भी भागीदारी रहेगी । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समुदाय–नीति और जनकेंद्रित गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया गया है । बच्चों में नये तौर तरीके सीखनें की प्रवृत्ति खासकर अधिक पाई जाती है। अतः इस कार्यक्रम में यह सोच रखी गई है कि घरों और विद्यालयों में स्वच्छता के तौर–तरीके सिखाने में विशेषकर बच्चों को प्रतिनिधि बनाया जाये । इस हेतु यह सोचा गया है कि देश के ग्रामीण इलाकों के सभी स्कूलों में बालकों और बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय बनाये जाएंगे। पूर्ण स्वच्छता अभियान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

ग्रामीण क्षेत्रों में समान जीवन स्तर में सामान्य जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को और व्यापक बनाने के लिए त्वरित कार्य । जनजागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता सुविधाओं के लिए और मांग पैदा करना । ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना और विद्यार्थियों के बीच साफ–सफाई की आदत डालना। स्वच्छता के क्षेत्र में लागतबद्ध और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा । संदूषित जल और स्वच्छता जनित रोगों को कम करने का प्रयास करना ।

इसकी मुख्य कार्यनीति है – कार्यक्रम को 'समुदाय नीति' और 'जनकेंद्रित' बनाना। एक 'मांग आधारित तरीका' अपनाया जाना है, जिसमें लोगों में इस बात की जागरूकता लानें और उनमें स्वच्छ संसाधनों के प्रति मांग पैदा करनें पर ज्यादा जोर रहेगा कि वे घरों, विद्यालयों में साफ–सफाई रखें और अपनें पर्यावरण को स्वच्छ बनायें । सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनें के लिए वैकल्पित प्रेषण–प्रणालियां अपनायी जाएंगी । व्यक्तिगत गृह–शौचालय ईकाइयों के लिए राजसहायता घटा दी गई है । ग्रामीण जनता में स्वच्छता के प्रति स्वीकार–भाव जगे, इसके लिए ग्राम के विद्यालय की स्वच्छता न केवल एक प्रवेशद्वार की भांति है, बल्कि इस कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक भी है । प्रयोक्ता की इच्छा के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रौद्योगिकीय विकल्प मुहैया कराना और पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों, स्वसहायता समूहों, गैर–सरकारी संगठनों इत्यादि को साथ लेकर स्थानीय तरीके के गहन सूचना–शिक्षा–संचार अभियान चलाना भी कार्यनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है ।

हरियाली योजना

मरू भूमि विकास कार्यक्रम. डी.डी.पी. एवं एकीकृत बंजर विकास भूमि कार्यक्रम .आई.डब्लयू.डी.पी. को 'जल संरक्षण विकास' आधार पर लागू करनें के लिए 'हरियाली' नाम से योजना चल रही है, जो 1.4.2003 से ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू–संसाधन विभाग द्वारा 'नई पहल' शुरू की गई है । इस हरियाली योजना के तहत हरियाणा के सात जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी तथा झज्जर में मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा राज्य में आई.डब्लयू.डी.पी. के नाम से जल संग्रहण परियोजनाएं लागू की जा रही हैं ।

योजना का मुख्य उदेश्य :

❖ खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में, खेत की मिट्‌टी खेत में, गाँव की मिट्‌टी गाँव में । ❖ वर्षा की एक–एक बूंद को सिंचाई, वन रोपण, बागवानी, फूलों की खेती, चरागाह का विकास, मछली पालन हेतु संग्रह करना । ❖ जल संग्रहण के प्रबन्धन में पंचायतों की नियमित आय के स्त्रोत पैदा करना तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास करना । ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, गरीबी कम करना, सामुदायिक सशक्तीकरण, मानव एवं आर्थिक विकास । ❖ सूखे एवं मरूस्थलीकरण जैसी उग्र जलवायु परिस्थितियों के फसलों, मानव व पशुधन के ऊपर होने वाले कुप्रभावों को कम करना । ❖ प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि भूजल व वनस्पति के उचित दोहन, संरक्षण एवं विकास द्वारा परिस्थितिकी सन्तुलन को सुधारना।

कार्यनीति

इस कार्यक्रम को लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों, सरकारी संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी ।

इस योजना के अन्तर्गत क्या कार्य किये जा सकते हैं ?

पॉण्डस, नाला–बंध, चैक डैम्स परकोलेशन टैंक एवं भू–जलस्तर को बढ़ानें वाले उपाय, गाँव के जोहड़. तालाबों की गाद निकालकर पीने के पानी, सिंचाई व मछली पालन का विकास, वनीकरण के साथ–साथ चरागाह विकास, कन्टूर एवं ग्रेडिंग बंधों का पौधारोपण, वनस्पति एवं अभियांत्रिकी ढांचों द्वारा जल निकासी उपचार, खेत की मिट्‌टी एवं नमी का संरक्षण, चारे, इमारती लकड़ी, इंधन लकड़ी, बागवानी व गैर इमारती लकड़ी वाले पौधों की नर्सरी तैयार करना ।

योजना की मुख्य विशेषताऐं :

❖ योजना की अवधि 5 वर्ष है । ❖ एक परियोजना का क्षेत्र लगभग 500 हैक्टेयर (1250 एकड़) होता है । ❖ प्रत्येक योजना के लिए 30 लाख रूपये की राशि स्वीकृत होती है । ❖ कार्य योजना ग्रामीण समुदाय से मिल बैठकर तैयार की जाती है । ❖ स्वयं सहायता समूहों को 10,000/– रूपये रिवालविंग फण्ड का प्रावधान है, जो 6 महीनें में वसूल होगा।

ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की भूमिका

❖ जल संरक्षण परियोजनाएं ग्राम पंचायत द्वारा लागू की जायेंगी । ❖ डब्ल्यू.डी.टी. के मार्गदर्शन में एवं स्वयं सहायता समूह तथा उपभोक्ता समूह के सहयोग के जल संग्रहण विकास योजना तैयार करेगी । ❖ प्रतिदिन की गतिविधियों में भाग लेना डी.आर.डी.ए. तथा पी.आई.ए. के बीच समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित करना । ❖शामलात व सामाजिक/पंचायती भूमि पर पौधारोपण की सुरक्षा हेतु वन रक्षक नियुक्त करेगी।

पंचायती राज की सफलता के सूत्र

❖ हर स्कीमों व उनके लिए अनुदानों व प्रावधानों की पूरी तरह की जानकारी । ❖ उनके पूरा लाभ लेने के लिए नियमानुसार सभी की सहभागिता के पारदर्शी नियोजन व क्रियान्वयन सभी सदस्यों को विभिन्न समितियों/उप समितियों में मनोनयन। ❖ समय–समय पर होने वाली ग्राम सभा का आयोजन, सभी विभागों की जानकारी व उनकी योजनाओं को गाँव में जल्दी से जल्दी लागू करना। ❖ सूचना के अधिकार का लाभ उठाना व पता करना कि ग्राम पंचायत को क्या स्कीम मिल रही है, क्यों मिल रही है । ❖ गाँव में चल रही योजना जैसे रोजगार गारंटी योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम पर पूरा ध्यान देना । ❖ गाँव में शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति भी आपका ध्यान ग्राम पंचायत लगाये । ❖ समय–समय पर गाँवों में विशेष अभियान चलाएं जैसे पौधारोपण, सफाई अभियान आदि

अक्षय उर्जा

उर्जा की बढ़ती हुई मांग तथा पाए जाने वाले परम्परागत उर्जा स्त्रोतों के भंडार में कमी को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा अपारम्परिक गैर–परम्परागत उर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल उर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है अपितु वातावरण को सुरक्षित रखना भी है । रोशनी की जरूरत को पूरा करने के लिए 'हरियाणा अक्षय उर्जा विकास एजेन्सी' द्वारा 'सोलर फोटोवोल्टिक' तकनीक द्वारा सूर्य की रोशनी 'सोलर सेल' की सहायता से बिजली में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार परिवर्तित की गई बिजली को दिन के समय सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है या फिर बैटरी में बिजली को संचित एकत्रित करके रात के समय में प्रयोग में लाया जा सकता है। सौर उर्जा से प्राप्त उर्जा–बिजली से हम ट्‌यूब लाईटें, पंखे, रेडियो, लालटेन इत्यादि घरेलू उपकरण चला सकते हैं । इसके अतिरिक्त सौर उर्जा से हम टंकी में गर्म पानी एवं ट्‌यूबवैल भी चला सकते हैं, जो अत्यन्त सस्ता, सुलभ एवं सुविधाजनक है ।

क्या है समन्वित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन, पेट्रोल, डीजल, बिजली तथा कैरोसीन की बचत करने के उद्देश्य से तथा गैर परम्परागत अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत आधारित उपकरणों के द्वारा बढ़ावा देने के लिए अक्षय उर्जा विभाग, हरियाणा राज्य के 38 गाँवों के समूहो में 'समन्वित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम' चलवाता है एवं क्रियान्वित करवाता है। गाँव के इस समूह में प्रत्येक जिले के दो गाँवों को दो समूह के रूप में चयनित किया जाता है ।

उद्देश्य

❖ ग्रामीण लोगों को खाना पकाने, पानी गर्म करनें और प्रकाश उर्जा की न्यूनतम मांग को नवीकरणीय उर्जा उपकरणों द्वारा पूरा करना । ❖समन्वित उर्जा कार्यक्रम के कार्यक्रमों की योजना एवं क्रियान्वयन में पंचायत, स्वयंसेवी संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा लोगों की ग्रामीण स्तर पर से ही सहभागिता सुनिश्चित करना । ❖ पर्यावरण एवं अक्षय उर्जा को ध्यान में रखते हुए स्थाई कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कीमत प्रभावी विभिन्न उर्जा स्त्रोतों के मिश्रण का विकल्प उपलब्ध करवाना

गांव के लोगों के लिए उपयुक्त उपकरण

❖ ग्रामीण लोगों को खाना बनाने तथा पानी गर्म करने के लिए सोलर कुकर, बायोगैस प्लांट तथा उन्नत कैरोसीन स्टोव उपलब्ध करवाना । ❖ गाँव वासियों की प्रकाश की उर्जा सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करनें के लिए सोलर लालटेन, कम्पैक्ट फलोरोसैंट लैम्प, सोलर फोटोवोल्टिक घरेलू प्रकाश संयंत्र तथा फोटोवोल्टिक पावर पैक उपलब्ध करवाना । ❖ सिंचाई के लिए उर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोलर फोटोवाल्टिक वाटर पम्पिंग संयंत्र व कृषि पम्पों को ठीक करना । ❖ आदित्य सोलर शॉप के बारे में । ❖ समन्वित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में ❖ प्रत्येक वर्ष सरकार 20 अगस्त को अक्षय उर्जा दिवस के रूप में मनाती है ।

महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर

उपायुक्त, सिरसा	01666. 248880, 248870
अतिरिक्त उपायुक्त, सिरसा	01666. 247235
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सिरसा	01666. 248883
कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, सिरसा	01666. 247279
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सिरसा	01666. 220483
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नाथुसरी चौपटा	01666. 256153
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ऐलनाबाद	01698. 220063
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रानियां	01698. 250326
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ओढ़ा	01696. 251247
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बडागुढ़ा	01696. 245230
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डबवाली	01668. 231153

ग्रामीण विकास प्रश्नोत्तरी

प्रश्न 1 रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन रोजगार दिया जाता है ?
प्रश्न 2 सिरसा जिला में कितने खण्ड (ब्लाक) हैं ?
प्रश्न 3 स्वयं सहायता समूह में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए
प्रश्न 4 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया है ?
प्रश्न 5 अक्षय उर्जा दिवस (20 अगस्त) को किस नेता का नाम जोड़ा गया है ।
प्रश्न 6 गाँवों के मुखिया को क्या कहते हैं ?
प्रश्न 7 डी.आर.डी.ए. का पूरा नाम क्या है ?

प्रथम पुरस्कार 700रू. | द्वितीय पुरस्कार 500रू. | तृतीय पुरस्कार 300रू.

डाक पता : रामकिशन, लेखाकार, जिला ग्रामीण अभिकरण सिरसा, द्वितीय तल, लघु सचिवालय, सिरसा (हरियाणा)

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रामीण भारत समाचार पत्रिका अंक 25 जून 2006 के अंश

संदेश

हमारे देश की सबसे बड़ी दो समस्याएं गरीबी और बेरोजगारी है। एक के बाद दूसरी बनी सभी सरकारों ने गरीबी को दूर करने तथा रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। विगत वर्षों में केंद्र सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं। स्वरोजगार कार्यक्रम चलाए हैं। विभिन्न मजदूरी और रोजगार कार्यक्रमों के प्रभाव मूल्यांकन और कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान सरकार ने रोजगार को एक विधिक अधिकार बनाया है और तदनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) 2005 बनाया है।

अधिनियम के प्रावधानों को पहले चरण में देशभर में 200 पिछड़े जिलों के लिए अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकार देश के सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है।

पिछले 5 वर्षों में अधिनियम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव उत्साहवर्धक रहे हैं। भारी मात्रा में लोगों ने काम पर आने की रिपोर्ट दी है। अब तक 65 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया है जिसका अर्थ यह है कि श्रम भुगतान की दृष्टि से प्रतिदिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 40 करोड़ रूपए की राशि दी जा रही है।

इधर–उधर के कुद अपवादों को छोड़कर आमतौर पर कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट संतोषजनक है। राज्य सरकारें इस अधिनियम के कार्यान्वयन में बहुत रूचि ले रही है। एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ही ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पर्याप्त मात्रा में प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था की है। मानदण्डों के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयकर्त्ता, कार्यक्रम समन्वयकर्त्ता और उनका वित्त–पोषण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिवों की भी एनआरईजीए के संसाधनों से नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा लगता है कि विभिन्न स्तरों पर कर्मियों की कमी के कारण कार्यान्वयन की गति धीमी है। राज्यों को श्रमशक्ति को सही जगह पर लगाने का अनुरोध किया गया है ताकि कार्यक्रम पूरी गति से चल सके।

देशभर में पानी की कमी को दृष्टि में रखते हुए एनआरईजीए के अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कार्यान्वयन एजेंसियों तथा राज्य सरकारों को जल संरक्षण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। यह भी सलाह दी गई है कि उपयुक्त जल संभरण स्त्रोत बनाकर वर्षा जल की एक–एक बूंद बचाई जाए।

मेरी दृष्टि से देश में सभी गांवों में कम से कम दो तालाब होने चाहिए। पूरे देश में सभी छह लाख गांवों में कम से कम 12 लाख तालाब होने चाहिए। एनआरईजीए में बड़ी मात्रा में जल संरक्षण उपाय करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

ग्रामीण सड़कों पर भारी मात्रा में विथि वृक्षारोपण के लिए मंत्री का अनुरोध

नई दिल्ली : ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 से 2006 के दौरान लगभग 9,000 कि.मी. लम्बी सड़कें बनाई गई हैं। ग्रामीण सड़कों का यह विशाल नेटवर्क, जो देश में कुल सड़क नेटवर्क का 84 प्रतिशत है, मंत्रालय के दो मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों, अर्थात सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विथि वृक्षारोपण स्वीकार्य कार्य है।

मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को गति प्रदान करने तथा ग्रामीण गरीब को जीवन–यापन में सहायता देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण सड़कों के दोनों ओर विथि वृक्षारोपण करने का निर्णय किया है। इस पहल के अंतर्गत ग्रामीण गरीब नर्सरियां बनाने तथा हरे–भरे छोटे पौधें उगाने के कार्य में हिस्सा ले सकते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे ग्रामीण सड़कें, विशेषकर पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनी नई सड़कों पर, एसजीआरवाई और एनआरईजीए में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके वीथि वृक्षारोपण के लिए इस विशाल कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए कार्य–योजना बनाएं।

इस पहलकदमी की विशेषताएं नीचे निम्न अनुसार है :–

:– सड़क के प्रत्येक कि.मी. में प्रत्येक ओर कम से कम 100 वृक्ष लगाए जाएं।

:– बेहतर हो कि फलदार/आय–सर्जक पेड़ लगाए जाएं। तथापि, वीथि वृक्षारोपण के लिए पेड़ों की जाति का चयन वन/बागवानी विभाग के अधिकारियों की सलाह पर किया जाए।

:– इस वनरोपण अभियान में ग्रामीण गरीब के लिए पंचायती राज संस्थाओं को स्व–सहायता समूहों के माध्यम से सामुदायिक नर्सरियां बनाई जा सकती हैं।

:– पौधें अधिक संख्या में बचे रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक वर्ष पुराने पादपों/पोधों को रोपा जाना चाहिए।

:– सड़क के किनारों पर सड़क के पुश्ते से दूर पेड़ लगाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में सड़क अतिक्रमण से बचा जा सके।

:– सार्वजनिक/सामुदायिक/सरकारी भूमि उपलब्ध न होने पर निजी भू–स्वामियों को उत्पादन पर उन्हें भोगाधिकार देकर वृक्ष लगाने के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए अनुमति देने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

:– पादपों/पौधों को बचाने के लिए किफायती वृक्ष संरक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

:– वृक्षारोपण के पश्चात रख–रखाव कार्यों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

:– रोपे गए पौधों, किए गए व्यय, लगाए गए व्यक्तियों, प्रदत्त मजदूरी आदि के ब्यौरें सम्बंधित योजना के अंतर्गत निर्धारित स्थानीय निगरानी और सामाजिक लेखा–परीक्षा के अध्ययन होने चाहिए।

पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों और जिला सतर्कता और निगरानी समितियों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण में तेजी

नई दिल्ली : इस मंत्रालय में विभिन्न कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। लगभग सभी कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों और कार्य विशिष्ट सतर्कता और निगरानी समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण का प्रावधान स्पष्टतः किया गया है।

एसजीएसवाई के अंतर्गत ब्लाक और बैंक कर्मचारियों के अतिरिक्त गैर–सरकारी संगठनों और स्व–सहायता समूहों के सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण ए जाने की आशा की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिमुखीकरण और कौशाल उन्नयन के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमित रूप से राज्य सरकारों/जिला कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा चलाए जाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम की मंत्रालय स्तर से मासिक आधार पर निगरानी की जानी चाहिए। यह प्रशिक्षण सरकारी अधिकारियों के लिए और कौशल उन्नयन के लिए कार्य विशिष्ट सर्तकता एवं निगरानी समिति के सदस्यों को भी दिया जाता है।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इच्छा व्यक्त की है कि सभी राज्य सरकारों से संलग्न प्रपत्र में प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त रिपोटिंग के रूप में मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ यह रिपोर्ट मंगाई जाना चाहिए। मंत्रालय का प्रशिक्षण विभाग रिपोर्ट प्राप्त करने, संकलित करने और इन अनुदेशों पर अनुवर्ती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

बीपीएल जनगणना 2002 को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा

नई दिल्ली : ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को बीपीएल जनगणना 2002 को अंतिम रूप देने के लिए अनुरोध किया है और शीघ्र ही बीपीएल सूची प्रकाशित करने को कहा है। इससे पूर्व बीपीएल सूची का अंतिम प्रकाशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण स्थगित रखा गया था। यह आदेश अब खारिज हो गया है। उल्लेखनीय है कि देश के सभी राज्यों ने 13 परिमाणीय मानदण्डों के आधार पर बीपीएल जनगणना 2002 कराई थी। प्रत्येक गांव के सभी परिवारों को शून्य से 52 तक अंक दिए गए हैं। व्यक्तिगत परिवार के अंक के आधार पर गरीबी के घटते क्रमानुसार परिवारों को रखना होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि पंचायत में सबसे गरीब परिवार क्रम में पहले स्थान पर होगा और सबसे अधिक सम्पन्न परिवार क्रम में सबके बाद होगा।

विभिन्न राज्यों के लिए बीपीएल परिवारों के लिए प्रदान की गई सीमा के अनुसार राज्य सरकार को अंतिम सीमा का निर्धारण करना है।

जिलों से यह आशा की जाती है कि वे जनता की अधिक जानकारी के लिए ग्राम सभा को सूची का प्रारूप प्रस्तुत करें। अपील के दो स्तरों की व्यवस्था की गई है जिसका निपटान निर्धारित समय के भीतर करना होता है। अपील के प्रावधान का पालन होने के बाद प्रत्येक पंचायत के लिए अंतिम बीपीएल सूची प्रकाशित करनी होती है। इन बीपीएल सूचियों का उपयोग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के चयन के लिए किया जाएगा। विज्ञान भवन में 12 और 13 मई, 2006 को बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने के लिए की जा रही तैयारियों का निष्पादन समीक्षा की गई थी। उसमें यह पाया गया था कि कुछ राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं जबकि कुछ राज्य प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों से यह कार्य 31 जुलाई, 2006 तक पूरा कर लेने का अनुरोध है।

जल संरक्षण

जल संरक्षण नियोजन और उनका अनुकूल तथा यथोचित उपयोग जल संरक्षण में बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों के लिए जल का भंडार रखने के

लिए भी एक महत्वपूर्ण घटक है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो स्वतंत्रता के समय केवल 33 करोड़ थी, बढ़कर 102 करोड़ तक पहुंच गई है। सिंचाई के अंतर्गत भूमि, जो केवल 5 मिलियन हैक्टेयर थी, इस शताब्दी की समाप्ति पर 91 मिलियन अधिक हो गई। खाद्यान्न का उत्पादन 50 के दशक में लगभग 50 लाख टन था, बढ़कर 210 लाख टन से अधिक हो गया है और हिसाब से वर्ष 2025 तक 350 मिलियन टन करना होगा। प्रगति की इस प्रक्रिया को और बढ़ाते हुए आर्थिक क्रियाकलापों के कुछ प्रमुख क्षेत्र, घरेलू औद्योगिक, कृषि, जल विद्युत आदि के लिए पानी की मांग बढ़ी।

प्रमुख कार्यक्षेत्र

जल संरक्षण के लिए क्रियाकलापों के कुछ प्रमुख क्षेत्र, जिनके लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है, नीचे दिए गए हैं :–

भू–जल का अत्यधिक दोहन रोका जाना चाहिए और इसे इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए जिससे कि री–चार्जिंग की संभावना बढ़े क्योंकि देश के अधिकांश भागों में जल की सतह खतरनाक गति से नीचे जा रही है।

वर्षा जल संभरण और भू–जल री–चार्ज प्रोत्साहन देकर और प्रोत्साहन वापस लेकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसे ग्रुप–हाऊसिंग सोसाइटियों, सामुदायिक आवास, स्कूल इमारतों, पंचायती राज संस्थाओं को गैर–सरकारी संगठनों, जो जल आपूर्ति और प्रबंधन में लगे हैं, पर कानून के जरिए काम में लेने जितनी मात्रा तक भूमि जल को री–चार्ज करने के लिए दबाव डालना चाहिए।

जल की हानि को न्यूनतम करके और अधिकतम मात्रा में एकत्र करके जल संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए और उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। गुणवत्ता की दृष्टि से ऊपरी और भूमि दोनों प्रकार के जल की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

जल के उचित उपयोग में निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को जल योजनाओं और परियोजनाओं के नियोजन, निष्पादन और रख–रखाव के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। उन्हें बेहतर प्रबंध–पद्धत्तियां अपनाने के लिए और प्रचालन प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निरंतर बढ़ती मांग को देखते हुए भूमि के उपयोग और जल के उपयोग की नीतियों के बीच घनिष्ठ समेकन होना चाहिए।

सिंचाई परियोजनाएं जल के उपयोग की कुशलता के प्रति आशावादी होनी चाहिए। जल रिसाव से होने वाली हानि को यथा संभव कम करने के लिए नहरों को जल मार्गों की लाइनिंग का कार्य शुरू करना चाहिए। मिट्टी में पानी सूख जाने अथवा वाष्प बन जाने से जल के अपव्यय को रोकने से टपका और छिड़काव सिंचाई जैसी गैर–पारंपरिक पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

फसल के पैटर्न को पानी के कम उपयोग वाली फसलों से बदले जाने की आवश्कता को प्रोत्साहन दिया जाएं और बड़े–बड़े क्षेत्रों में उगाई जाएं।

मानूसन के दौरान भारत में पानी की उपयोगिता बहुत अधिक होती है और बरसात का बहुत सारा पानी समुद्र में चला जाता है जिससे प्रायः बड़े क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप बनता है। बरसात के इस पानी को बांधों और नदियों को सही ढंग से जोड़कर बरसात से इतर के मौसम दौरान और अधिक समय तक के उपयोग के लिए संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

–शेष पृष्ठ 6 पर

एनआरईजीए की प्रगति

9 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार

क्रं.सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत आवेदन	जारी किए गए जाब कार्ड	रिलीज की गई निधि (लाख रूपायों में)	मांगा गया रोजगार	प्रदत्त गया रोजगार	कार्यों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	3908668	3662856	20000	721868	704101	21975
2	अरूणाचल प्रदेश	45070	16256	272.85	–––	–––	
3	असम	95000	69800	13970.845	–––	–––	
4	बिहार	1385852	592155	40503.38	1657522	1065367	1655
5	छत्तीसगढ़	1668412	1508745	17321.72	153599	143912	8907
6	गुजरात	540761	389772	4113.94	30909	27904	333
7	**हरियाणा**	76766	47614	913.39	11470	2550	89
8	हिमाचल प्रदेश	31033	30628	683.64	10403	9821	1372
9	जम्मू एवं कश्मीर	169038	65531	986.365	4127	4127	283
10	झारखंड	1755005	1171831	37618.59	496725	567832	9451
11	कर्नाटक	457409	315412	6329.69	148875	42724	551
12	केरल	225133		2179.51	–––	–––	
13	मध्य प्रदेश	4033166	3675584	93617.22	1666665	1206067	14321
14	महाराष्ट्र	2335602	288921	17961.645	241005	192365	6368
15	मणिपुर	45172	17880	570.89	–––	–––	
16	मेघालय			2064.68	–––	–––	
17	मिजोरम	7610	7610	298.9	–––	–––	
18	नागालैंड			430.11	–––	–––	
19	उड़ीसा	2400560	1602199	31516.56	1281759	1214590	19577
20	पंजाब	37870	33375	755.75	–––	19339	
21	राजस्थान	1396749	1376947	40000	688740	653871	8033
22	सिक्किम			451.5	–––	–––	
23	तमिलनाडु	958980	581360	9889.21	140742	51883	676
24	त्रिपुरा	62736	58114	1456.66	20148	16218	327
25	उत्तर प्रदेश	1666331	1121415	33498.69	172963	167065	11605
26	उतरांचल	289951	175779	1910.6	6206	6206	1739
27	पश्चिम बंगाल	3322241	1149145	18358.84	646412	495493	3305
	कुल	**26908115**	**17958929**	**397675.175**	**8100138**	**6491435**	**110569**

एन आरईजीए के अंतर्गत 1.78 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं

कार्यक्रम को अपार सफलता मिल रही है : केन्द्र ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए अब तक 6344.32 करोड़ रूपए रिलीज किए

नई दिल्ली : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को देश भर में उन राज्यों के जिलों में, जहां कार्यान्वयन के पहले चरण में अधिनियम को अधिसूचित किया गया था, और जनता से भरपूर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्यों से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार पंजीकरण के लिए 2.66 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और पात्र परिवारों को 1.78 से अधिक जॉब कार्ड जारी किए गए। विभिन्न राज्यों में 80.53 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। केन्द्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए जून के मध्य तक 6344.32 करोड़ रिलीज किए हैं। एनआरईजीए के अंतर्गत आपदाग्रस्त लोगों को स्थानीय रोजगार उपलब्ध करवाकर उन्हें वहीं रहने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके फलस्वरूप काम के प्रति बड़ी संख्या में महिलाओं का रूझान भी बढ़ा है।

काम की मांग को पूरा करने की दृष्टि से सभी राज्यों ने योजना को क्रियान्वित करने के लिए उत्साह दिखाया है और पहल की है। आरंभिक महीनों में योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए चलाए गए अभियान बहुत सफल रहे हैं जिनके फलस्वरूप भारी संख्या में जॉब कार्ड जारी हुए हैं। राज्यों ने भी मांग–जनित कार्यक्रम के अनुसार अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया है। राज्यों ने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित लोगों को प्रशिक्षित भी किया है।

स्मरण रहे कि यह नया एनआरईजीए केन्द्र सरकार ने सितम्बर, 2005 में बनाया था। इस अधिनियम में ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क व्यक्तियों को, जो काम की मांग करते हैं और शारारिक कार्य करने के इच्छुक है, एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार लिए जाने की विधिक गारंटी है। यह मांग आधारित कार्यक्रम है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो शारीरिक कार्य करता है, राज्य में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यथा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर परंतु 15 दिन के भीतर किया जाता है। यदि किसी श्रमिक ने एनआरईजीए के अंतर्गत कार्य के लिए किए गए अनुरोध की तारीख से 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार उसे अधिनियम में निर्धारित दर पर बेरोजगारी–भत्ते का भुगतान करेगी। एनआरईजीए के अंतर्गत रोजगार ऐसे कार्यों के लिए दिया जाता है जिनमें स्थायी सम्पत्तियां बनती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जल सरंक्षण, जल प्रबंधन और जल संवर्धन के उद्देश्य वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

एनआरईजीए में अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रत्येक राज्य सरकार से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाने की मांग की गई है। यह अधिनियम सामान्य व्यक्ति को ग्राम सभा, सामाजिक लेखा परिक्षाओं, भागीदारी–पूर्ण नियोजन और अन्य तौर–तरीकों के माध्यम से रोजगार गारंटी के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार देता है। इस अधिनियम में प्रत्येक कार्य के लिए स्थानीय पर्यवेक्षण और निगरानी समितियों में गठित करने का प्रावधान है। ऐसी समितियों में सम्बंधित गांव के प्रतिनिधि होंगे।

यह अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू है और 5 वर्ष के भीतर पूरे देश पर लागू हो जाएगा। पहले चरण में इसे 2 फरवरी, 2006 से देश के 200 जिलों में लागू किया गया है। 200 एनआरईजीए जिलों के लिए 2005–06 के दौरान 2367.57 करोड़ रूपए और 2006–07 के दौरान अब तक 3976.75 करोड़ रूपए की राशि रिलीज की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न राज्यों में एनआरईजीए के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए निरन्तर कदम उठा रहा है। 5 एजेंसियों के माध्यम से संवर्ती मूल्यांकन शुरू किया गया है ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके और फील्ड स्तरीय कार्यान्वयन मजबूत किया जा सके। प्रगति का पता लगाने के लिए व्यापक एमआईएस विकसित किया गया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं ने भी फील्ड दौरे करके स्वतंत्र रूप से प्रगति का जायजा लिया है।

अमृत वाणी

''लोकतंत्र की भावना ऐसी यांत्रिक व्यवस्था नहीं है कि उसे सत्ता परिवर्तन से लाया जा सके। इसके लिए हृदय परिवर्तन आवश्यक है।

.........महात्मा गांधी

सभी जिलों में स्थायी इन्दिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची रखी जाए

नई दिल्ली : आईएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के आशय से भारत सरकार ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी जिलों में स्थायी आधार पर पात्र आईएवाई लाभार्थियों की पंचायत–वार सूची रखी जाए। इस सूची को आईएवाई स्थायी प्रतीक्षा सूची कहा जाएगा, जिसके दो भाग होंगे। पहला भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए और दूसरा भाग गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। इस सूची में लाभार्थियों को गरीबी के स्तर के अनुसार रखा जाएगा जो बीपीएल जनगणना, 2002 के अंकों के आधार पर होगा।

आईएवाई के अंतर्गत डीआरडी एजेंसियों को इन अनुदेशों के साथ पहली किस्त रिलीज कर दी गई है कि 2006–07 के लिए लाभार्थियों का चयन अनिवार्यतः स्थायी आईएवाई प्रतिक्षा सूची में से किया जाएगा। स्थाई आईएवाई प्रतिक्षा सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। इसे पुस्तिका के रूप में छपवाया जाएगा और जिले की वेबसाइट पर लोड किया जाएगा।

इसके अनिवार्य अनुपालन की महत्ता का उल्लेख करते हुए माननीय ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने विज्ञान भवन में 22/5/2006 को आयोजित निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक में सभी सचिवों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ राज्यों ने पहले से ही अग्रिम तैयारी करने के लिए कदम उठा लिए हैं जबकि कुछ राज्य इस प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची की तैयारी को अधिकतम प्राथमिकता देता है ताकि पंचायत के प्रत्येक आवासहीन ग्रामीण गरीब को यह पता चल सके कि उसकी बारी कब तक आ जाने की संभावना है।

माननीय मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से यह अनुरोध भी किया है कि वे अपने–अपने जिलों में इन अनुदेशों के अनुपालन की समीक्षा और निगरानी करें।

जल संरक्षण....पृष्ठ 5 का शेष

अर्न्तराज्यीय नदियों के जल की हिस्सेदारी के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। तट और बांधों को मजबूत करने जैसे जल संरक्षण कार्य और नदियों से मिट्टी निकालने के कार्य नियमित रूप से किए जाने चाहिए।

सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूमि जल की संभावना के विकास, री–चार्जिंग, प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों से फालतू जल के स्थानान्तरण, जहां संभव हो, जल–संग्रहण पद्धतियों के बारे में जागरूकता, मृदा–नमी संरक्षण और वाष्पीकरण से होने वाली हानियों को रोकने की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शिक्षा, मास–मीडिया, विनियमन, प्रोत्साहन देकर और प्रोत्साहन वापस लेकर जनता के बीच जल संरक्षण की भावना पैदा की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय जल नीति– 2002

राष्ट्रीय जल नीति – 2002 में जल–योजनाओं और परियोजनाओं के नियोजन, विकास, निष्पादन और रख–रखाव में सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण की मांग की गई है। पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए चार वर्षों 2005–2009 में क्रियान्वित किए जा रहे महत्वाकांक्षी भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 प्रमुख घटकों में से एक हैं। इसमें देश में शेष सभी 55067 ग्रामीण बसावटों के लिए स्वच्छ पेयजल के प्रावधान की व्यवस्था है। अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार 96.1 प्रतिशत बसावटें पेयजल योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत पूरी तरह से कवर थी और 3.6 प्रतिशत आंशिक रूप से कवर थी और इस तरह से 0.3 प्रतिशत बसावटें जल के स्त्रोत के बिना रह गयी थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन 3645 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 4680 करोड़ रूपए करने का प्रस्ताव है। नान–कवरेज के अलावा साधनों के सूख जाने, भू–जल सतह के नीचे चले जाने, पुरानी और बेकार हो गयी जल आपूर्ति प्रणाली और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता कम होने के कारण बसावटों के निचली श्रेणी में लौट जाने की समस्या निरन्तर रहती है। नान–कवरेज और निचली श्रेणी में चले जाने जैसी दोनों प्रकार की समस्याओं से निपटने की नीति में जल संरक्षण, क्षमता–निर्माण, बेहतर प्रचालन प्रबंध और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना शामिल होना चाहिए। केन्द्र ने 2006–07 के दौरान राज्यों के लिए जल परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने और फील्ड–स्तरीय जल–परीक्षण किटों की व्यवस्था के लिए सहायता के रूप में 213 करोड़ रूपए निर्धारित किए हैं।

सिंचाई

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय परिव्यय, जो 2005–.6 में 4500 करोड़ रूपए था, को बढ़ाकर चालू वित्तीय वर्ष में 7121 करोड़ रूपए किया गया है। सिंचाई की क्षमता बढ़ाने पर जोर देने के लिए कमाण्ड–क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनः तैयार किया जा रहा है ताकि जल उपभोक्ता संघों के माध्यम से भागीदारी–पूर्ण सिंचाई प्रबंधन किया जा सके। इसके अतिरिक्त जल निकायों की मरम्मत, पुनरूद्धार और बहाली के लिए कार्यक्रम के प्रथम चरण के लिए 1.47 मिलियन हैक्टेयर कमाण्ड–क्षेत्र के साथ 20,000 जल निकायों की पहचान की गई है। इसे 13 राज्यों के स्थित 23 जिलों में प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

झिरपी सिंचन पद्धति

जिन स्थानों में पानी की कमी है वहां झिरपी सिंचाई की सस्ती एवं सक्षम पद्धति अपनायी जा सकती है। इस पद्धति से सिंचाई में पानी बेकार न जाकर सीधे पौधे या पेड़ को मिलता है जिससे खेत में खरपतवार पैदा नहीं होती तथा कम पानी में उत्पादन ज्यादा होता है। घरेलू बगीचे, छोटे खेतों, फलों के बगीचे, वनखेती आदि के लिए यह सिंचन पद्धति उपयोगी है।

:– झिरपी पकी मिट्टी से बनी गुल्लियां है जिन्हें प्लास्टिक/पीवीसी पाइप के टुकड़ों में जोड़कर माला बनाई जाती है।

:– झिरपी माला का एक छोर पानी की टंकी से जोड़ा जाता है तथा पूरी झिरपी माला को खेत/बगीचे में पेड़ के पास या चारों तरफ लगाया जाता है (चित्र देखें)।

:– झिरपी माला में पानी पूरे समय भरा रहता है, जिससे रिस कर पानी पेड़ पौधों की जड़ों को निरंतर गीला रखता है ताकि पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार पानी पी सकें।

:– वही झिरपी क्षमता से काम करती है जिसमें 30 से 35 प्रतिशत रिसनशिलता है तथा जिनसे प्रतिदिन कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी रिसे।

:– गांव में विविध आकार और बनावट की झिरपियां बनाई जा सकती हैं। आकार जैसे गुल्ली, ईट, मोटी रोटी, ग्लास, लड्डू, छोटे मटके आदि के आकार की। इनमें गुल्ली और इंट के आकार वाली झिरपियां प्रचलित हुई हैं।

फायदे

1. झिरपी सिंचाई पद्धति से कम पानी में ज्यादा उत्पादन होता है।
2. यह सिंचाई पद्धति रेतीली मिट्टी में काम करती है। इसके लिए ज़मीन को समतल करने की आवश्यकता नहीं है।
3. इसके लिए बिजली, आधुनिक मशीनों या उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। इसलिये दूरदराज गांव में गरीब़ किसान इस पद्धति का इस्तेमाल कर सकता है।
4. इस पद्धति में पानी की आपूर्ति और उपलब्धता पर निर्भर नहीं होना पड़ता।
5. पूरा पानी पेड़–पौधों की जड़ों को सीधा सींचता है। इसलिये पानी के उड़ने, रिसने या बहने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।
6. इस पद्धति से साधारण सिंचाई पद्धति की अपेक्षा 1/10 पानी से उतने ही क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है।

झिरपी सिंचाई में गुल्ली लगाने का तरीका

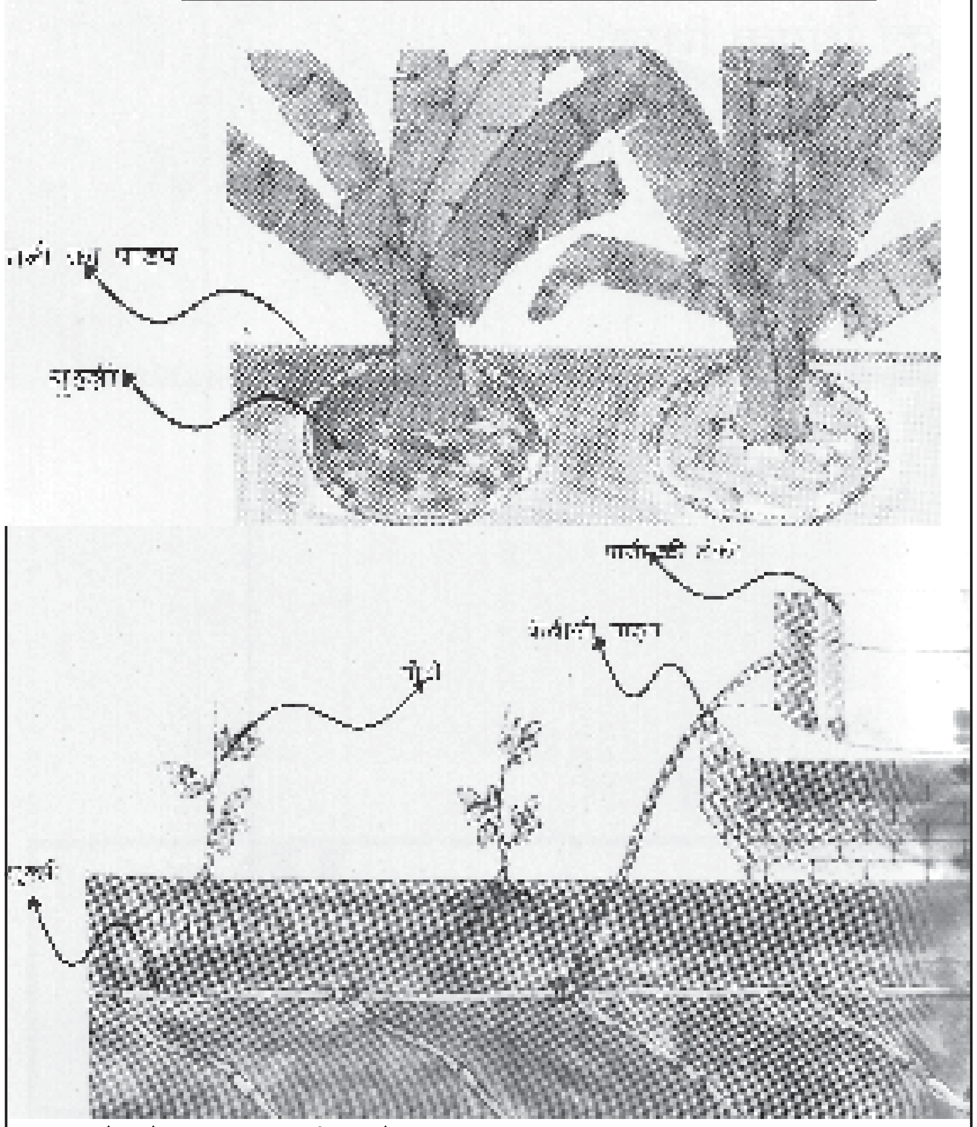

7. खेत में खरपतवार नहीं उगते।
8. निरंतर पानी की उपलब्धता से पौधे या पेड़ पानी के अभाव से होने वाले धक्के (शॉक) से बच जाते हैं।
9. जड़ों को पर्याप्त आर्द्रता मिलने के कारण पेड़–पौधा जल्दी फलित होता है।
10. इस पद्धति में मिट्टी के सूक्ष्म पौष्टिक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं।
11. इस पद्धति से खारे पानी को भी सिंचाई के काम में लाया जा सकता है।
12. बड़ी संख्या में कुम्हारों को काम मिल सकता है।

मूल्य : प्रति झिरपी 1/– से 5/– रू.

सम्पर्क : ग्रामोपयोगी विज्ञान केन्द्र, कारला
वर्धा–4420001 (महाराष्ट्र)
फोन : 07152–249545, फैक्स : 07152–244522

सोख गड्ढा

गांव में रसोई, स्नानघर तथा कपड़ा–बर्तन धोने की मोरी से निकला गंदा पानी गलियों में कीचड़ गंदगी करता है। जगह–जगह पर रूका गंदा पानी मच्छर मक्खियों को पनपाता है। सोख गड्ढा इस गंदे पानी को निकास स्थान पर ही सोख कर गलियों को सूखा और साफ रखता है।

गड्ढे के तीन भाग होते हैं :–

1. सफाई छलनी पानी निकाल टंकी
2. निकास नाली
3. सोख गड्ढा

सफाई छलनी टंकी : पानी के निकास के स्थान पर एक छोटी टंकी बनायें जिस पर जलीदार छलनी रखें। बाज़ार में मिलने वाली स्टील या हिन्डोलियम की बड़ी छलनी खरीदें (छलनी पुरानी बाल्टी, टिन के डिब्बे या तसले के पेन्दे में कील से कई छेद करके भी बनाई जा सकती है जिससे छनकर पानी में तैरती गंदगी अटक जायेगी।) साबुन, तेल, चिकनाहट और अन्न के टुकड़ों को रोकने के लिए छलनी में नारियलन का रेशा/पुरानी रस्सी के टुकड़े/सूखी घास डालकर रखें। यह छलनी निकास टंकी पर बैठती है जो आसानी से निकाली व लगाई जा सकती है। इससे पानी के साथ आई चिकनाई और गंदगी सोख गड्ढे में नहीं जाती।

निकास टंकी जिस पर छलनी बिढ़ाई जाती है, 1 फीट× 1फीट × 1फीट आकार की ईंट सीमेन्ट से बनी चौरस टंकी है। टंकी के तल के 3 इंच ऊपर 2 इंच व्यास वाली पाईप बिठाई जाती है (पीवीसी, टीन या पकी मिट्टी का पाइप इस्तेमाल करें, इसबेस्टस का नहीं)। निकास नाली की लंबाई इतनी हो कि वह सोख गड्ढे के बीचों बीच आयें।

सोख गड्ढा : खुदाई – एक चौकोर गड्ढा खोदें (साधारणतया 3 फीट× 3 फीट× 3 फीट आकार का)। खोदते समय ध्यान रखें कि गड्ढे की ढ़लान घर की नींव की उल्टी दिशा में हो ताकि सोख खड्डे का पानी घर की नींव की तरफ न बहे।

भराई : इस खोद गड्ढे को समान अनुपात में बड़े, मध्यम और छोटे पत्थरों से क्रमशः भरें। पत्थर भरते समय ध्यान रहे कि निकास नाली को धक्का न लगे, जो सोख गड्ढे के बीचोंबीच स्थित है। नाली के आसपास पत्थर सावधानी से रखें ताकि पाइप पक्की बैठ जाये।

गड्ढा जब ऊपर तक पत्थरों से भर जाये तब उसे प्लास्टिक/पोलीथीन की चादर से ढ़क दें (सीमेन्ट, यूरिया आदि के थैले उपयोग में लायें)। यह चादर गड्ढे की बाहरी सतह पर चारों ओर एक फुट क्षेत्र पर फैले। रेत मिट्टी का गारा बना कर इस चादर पर जोरों से पटकें, इससे एक पक्का मज़बूत समतल क्षेत्र तैयार होगा। इस पर सूखी रेत की तह जमा दें ताकि बाहर का पानी सोख गड्ढे में नहीं जाये।

:– छलनी को प्रतिदिन साफ करें। घास, नारियल रेशा हर सप्ताह साफ धोकर, सुखा कर छलनी में फिर से भरें। यदि छलनी की सामग्री गलने लगे तो नई भरें।

:– जब गड्ढे के आसपास की जगह गीली होने लगे तो समझ जाइये कि सोख गड्ढे की सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में गड्ढा पूरी तरह से खाली कीजिए। पत्थरों को अच्छी तरह से धोकर कड़ी धूप में सुखा लें। गड्ढे को ईट से न भरें केवल पत्थरों का उपयोग करें। निकास पाइप के लिए पीवीसी, टीन, लोहे का पाइप इस्तेमाल करें एसबेस्टस के लंबे पाइप

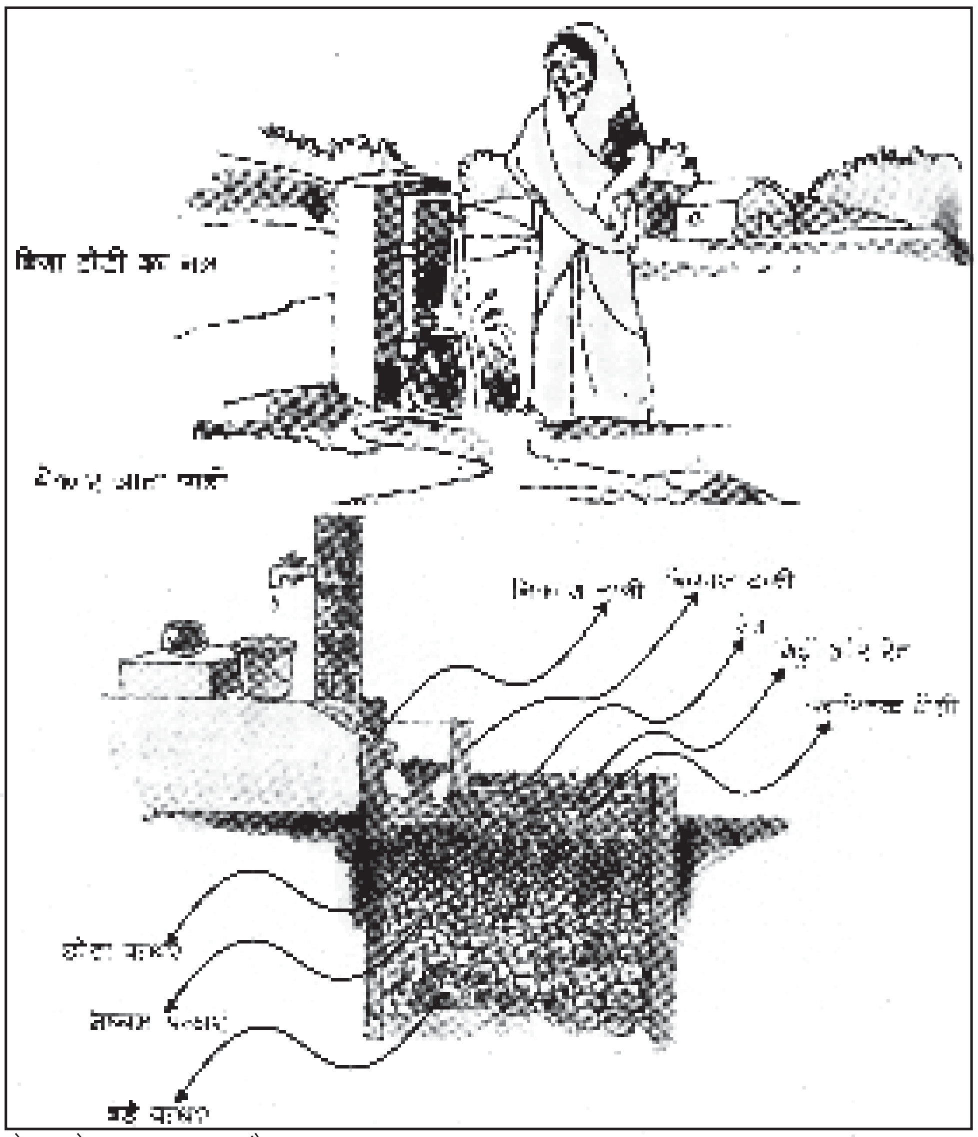

के टूटने का ड़र रहता है।

मूल्य : 250/– से 300/– रू.

संपर्क : समीर कुर्वे, ग्रामोपयोगी विज्ञान केन्द्र
कुमारप्पापुरम्, पवनार वर्धा–442001 (महाराष्ट्र) फोन : 07152–250570,
फैक्स : 07152–240066 ईमेल : csvhousing@vsnl.com

राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत स्कूल कमरों का निर्माण

हरियाणा प्रदेश के एकमात्र जिले सिरसा में चल रही राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में लगभग पाँच करोड़ रूपये की लागत से कुल 296 स्कूल कमरों का निर्माण करवाया जा चुका है।

स्कूली कमरे सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत बनने वाले स्कूली कमरे के डिजाइन के आधार पर बनवाये गए। निर्माण के कार्य को सर्वशिक्षा अभियान के तहत गठित ग्राम शिक्षा समिति की ग्राम निर्माण समिति के द्वारा क्रियान्वित कराया गया। उक्त स्कूली कमरे बनने के बाद अनेकों सरकारी स्कूलों में कमरों की कमी को लगभग दूर कर दिया गया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि सम्बंधित ग्राम पंचायतें इन स्कूल कमरों की देखरेख करते हुए इनका प्रयोग शैक्षणिक कार्यों हेतु करवाया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम सभाओं की विशेष...पेज 1 का शेष

उक्त बैठकों में पँचवर्षीय योजना हेतु कार्यों की पहचान करने के अलावा योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में ग्रामवासियों को सभास्थल पर ही अवगत कराया गया। उक्त बैठकों में सभी ग्रामवासियों की सहमति से ग्रामस्तरीय 'चौकसी एवं निगरानी समिति' एवं 'लाभार्थी समिति' का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत विहित प्रावधानों के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक एवं कार्यस्थल पर बालवाड़ी संचालन के लिए सेविका हेतु एक–एक पैनल सभास्थल पर मौजूद योग्य व्यक्तियों में से बनाया गया।

जैसा कि विदित हो, सिरसा जिले में दिनांक 31, जुलाई 2006 तक क्रमशः डबवाली खंड में 10056, औढ़ा में 4631, बड़ागुड़ा में 6772, सिरसा में 7842, नाथूसरी चौपटा में 11230, ऐलनाबाद में 6681 एवं रानियां में 9067 परिवारों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाया है। उक्त पंजीकृत परिवारों को आधार मानते हुए सभी खंडों में आगामी पाँच वर्षों के लिए प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने हेतु कुल 44615.177 लाख रूपये के कार्यों की पहचान करने की आवश्यकता थी, जिसमें डबवाली खंड में कुल 7971.894 लाख रूपये, औढ़ा में 3671.225 लाख रूपये, बड़ागुड़ा में 5368.503 लाख रूपये, सिरसा में 6216.746 लाख रूपये, नाथूसरी चौपटा में 8902.583 लाख रूपये, ऐलनाबाद में 5296.363 लाख रूपये एवं रानियां में 7187.864 लाख रूपये का लक्ष्य था। उक्त ग्राम सभाओं की बैठकों की सफलता का सूत्र यही रहा कि सभी खंडों में उपरोक्त धनराशि के कार्यों के न्यूनतम लक्ष्य को न केवल प्राप्त किया गया बल्कि उपरोक्त लक्ष्यों से ज्यादा धनराशि के ऐसे कार्यों की पहचान कर ली गयी जोकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मान्य है। इन कार्यों में प्रमुख रूप से नवीन जोहड़ों का निर्माण, पुराने जोहड़ों की गाद को निकालने व उनके विस्तारीकरण का काम, पंचायती जमीन पर जल सरंक्षण हेतु ढांचे का निर्माण, पंचायत की टिब्बे वाली जमीन का समतलीकरण व वहां तक पाईपलाईनों के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करने का काम, पंचायती जमीन पर नए खालों का निर्माण एवं पुराने खालों की मरम्मत, सामूहिक स्थानों पर (स्कूल प्रांगण, अन्य सरकारी भवनों, सड़कों के दोनों ओर, खालों एवं माइनरों के दोनों ओर एवं पंचायत की कृषि व अकृषि योग्य भूमि के चारों ओर) पौधारोपण, पंचायत भूमि के चारों ओर कच्ची मिट्टी की स्थानीय तकनीक वाली फट्टे की दीवार, सिरसा जिले के अंतर्गत बहने वाली घग्गर नदी के दोनों तटबंधों तथा नदी के आसपास के गाँवों के रिंगबंधों का मजबूतीकरण, गाँवों के कच्चे रास्तों को पक्का करना तथा अनुसूचित जातियों/इन्दिरा आवास योजना एवं भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि हेतु सिंचाई सुविधा प्रदान करना आदि हैं। उक्त ग्राम सभाओं की बैठकों में निर्धारित लक्ष्य से अधिक के कार्यों की पहचान व उनके अनुमानित प्राक्कलन बन जाने के बाद सभी ग्राम पंचायतों को उक्त योजना के अंतर्गत आगामी पाँच वर्षों में अबाध गति से चलाने में पूरी मदद मिलेगी, साथ ही योजना के अंतर्गत रोजगार की माँग करने वाले परिवारों के लिए किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्रामवासियों को यथासंभव उनके गाँव से पाँच किलोमीटर की परिधि में ही रोजगार प्रदान करवा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें कार्यों की प्रकृति के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी हेतु निर्धारित मानकों में विहित प्रक्रिया अपनाने के बाद ढील देने का प्रावधान भी है। जैसे कि सिरसा जिले में जोहड़ की खुदाई के कार्य में न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के लिए कम से कम 100 घनफुट मिट्टी को खोदकर 60 मीटर की दूरी पर डालने का प्रावधान था जिसे मजदूरों की माँग पर पुर्ननिर्धारित कर दिया गया है। अब इन मानकों को खोदी जाने वाली मिट्टी की किस्म अर्थात मुलायम (पोली/रेतीली) व सख्त के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें मुलायम मिट्टी की खुदाई के लिए अब एक मजदूर को कम से कम 100 घनफुट मिट्टी को खोदकर 30 मीटर की दूरी पर डालना होगा एवं सख्त मिट्टी की खुदाई के लिए उसे केवल 75 घनफुट मिट्टी को खोद कर 30 मीटर की दूरी पर डालना होगा। ग्राम सभाओं की बैठकों के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए उपायुक्त–कम–जिला कार्यक्रम समन्वयक (एनआरइजीए) ने सभी सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई प्रेषित की है तथा आशा व्यक्त की है कि अब समस्त ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन को गति देकर रोजगार के लिए इच्छुक परिवारों को समयबद्ध तरीके से रोजगार प्रदान करवाया जाना सुनिश्चित करेंगी।

परिचय

राव सूरत सिंह-परियोजना अर्थशास्त्री

एक फरवरी, 1955 को महेन्द्रगढ़ जिले के गाँव नोताना में जन्मे श्री सूरत सिंह राव सिरसा जिले की जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी में बतौर परियोजना अर्थशास्त्री के पद पर कार्यरत है। गाँव में जन्मे श्री राव का गाँव के विकास के प्रति बहुत रूझान है। अतिरिक्त जिला उपायुक्त के कार्यालय के कमरा न0. 61 में वे बैठते हैं । अपनी स्नातकीय शिक्षा के उपरान्त उन्होनें स्नातकोत्तर एम.ए. की डिग्री अर्थशास्त्र विषय में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सन 1978 में प्राप्त की है।

श्री राव का अर्थशास्त्र विषय में शुरू से ही विशेष स्थान रहा है और उनका यह पंसदीदा विषय रहा है। उन्होनें अपने केरियर जीवन की शुरूआत एक प्राध्यापक के रूप में षुरू की तथा सन् 1983 में उन्होनें जिला सिरसा के डी.आर.डी.ए. में बतौर अन्वेषक तथा 1987 में परियोजना अर्थशास्त्री के पदभार को ग्रहण किया । तब से लेकर अब तक निरन्तर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

श्री राव ने घग्घर नदी के पानी को सिंचाई हेतु प्रयोग करने के लिए 'वाटर टेपिंग प्रोजेक्ट' का सुझाव दिया जो कामयाब हुआ। इसी तरह उन्होनें सन् 1986–87 में 'समन्वित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम' बनाया जो पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे अच्छा साबित हुआ । इस तरह उनकी यह दो मुख्य उपलब्धियां रही हैं।

श्री राव के जीवन का उद्देश्य है कि हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना या स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना पर शोध कार्य करने की है।

श्री राव के अनुसार किसी भी गाँव का विकास पंचायत के बिना होना सम्भव नहीं है । इसलिए ग्राम पंचायतें गाँव की रीढ़ की हड्डी के समान हैं । उनका कहना है कि परिवार की पूरी बागडोर परिवार के मुखिया के हाथ में होती है, उसी तरह पूरा गाँव भी एक परिवार की ही भांति होता है और उसकी बागडोर भी मुखिया अर्थात सरपंच/पंचायत के हाथ में होती है । पंच/सरपंच का मौलिक कर्तव्य बनता है कि वे अपने गाँव के विकास के लिए पूरी मेहनत, सच्चाई, लगन एवं आत्मविश्वास के साथ अंजाम दें या करें। इसके लिए केवल पंच या सरपंच ही नहीं वरन् पूरे गाँव के लोगों का पूर्ण सहयोग होना चाहिए क्योंकि 'गाँव का विकास, लोगों का विकास' होना है । इसलिए ग्राम पंचायतों एवं गाँववासियों को कंधे से कंधा मिलाकर अपनें गाँव के विकास के लिए जी–जान से मेहनत एवं पूर्ण प्रयास करने चाहिए।

उपलब्धियां

श्री राव ने घग्घर नदी के पानी को सिंचाई हेतु प्रयोग करने के लिए 'मरूस्थल विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत घग्घर नदी के बांध पर वाटर टेपिंग प्रोजैक्ट बनाने का सुझाव दिया । जिले में इस समय घग्घर नदी के बांध पर 39 वाटर टेपिंग प्रोजैक्ट चालू हालत में है, जिनसे 16.5 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है । इसके अतिरिक्त 1986–87 में इनके द्वारा तैयार की गई समन्वित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम के लिए बनाई गई वार्षिक कार्ययोजना राज्य स्तर पर सभी जिलों से उत्कृष्ट पाई गई।

श्री राव का मानना है कि एक व्यक्ति का विकास तभी सम्भव है, यदि वह बात का पक्का, सच्चा व कर्मयोगी हो।

ग्राम पंचायत, गंगा रही राज्य स्तर पर दूसरे स्थान पर

: एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार जीता: उप मुख्यमंत्री चन्द्रमोहन ने किया सम्मानित अक्षय उर्जा दिवस के अवसर पर।

अक्षय उर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा आयोजित राजीव गाँधी अक्षय उर्जा दिवस (20 अगस्त) के अवसर पर अक्षय उर्जा के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पंचकुला में ग्राम पंचायतों व जिला स्तर पर अच्छे कार्य करने के लिए विभागों को सम्मानित किया। इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चन्द्रमोहन मुख्य अतिथि थे। जहाँ इस कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनें के लिए ग्राम पंचायत, गंगा ने राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस कार्य के लिए उप मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत गंगा को 1.00 लाख रूपये नकद व स्मृति चिन्ह प्रदान किया । वहीं दूसरी ओर ब्लाक (खंड) स्तर पर नेजाडेला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया । उन्हें 10 हजार रूपये व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया ।

प्रेषक,

अतिरिक्त उपायुक्त

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,

द्वितीय तल, लघु सचिवालय,

जिला सिरसा–125055

फोन : 01666–247235 फैक्स : 01666–247245

ई–मेल : drda-srs@hub.nic.in

प्रेषिति,

श्री/श्रीमती——————————————

——————————————

——————————————

——————————————

प्रेरणा : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार, दिशा बोध : श्री वी.उमाशंकर, उपायुक्त सिरसा, संपादन : श्री पंकज यादव, अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा, संकलन : छात्र, चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा, टंकण : श्रीमती भगवान देवी, लिपिक, डीआरडीए, सिरसा, मुद्रक : टोटल प्रिंटिंग प्रेस, सिरसा